अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम जुलाई 2019 से जून 2020[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
07 अगस्त 2019	नीतिगत रिपो दर में 35 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.40 प्रतिशत कर दिया गया।
04 अक्टूबर 2019	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.15 प्रतिशत कर दिया गया।
06 फरवरी 2020	31 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान ऑटोमोबाइल, रिहायशी आवास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बतौर खुदरा ऋण प्रदान किए गए वृद्धिशील ऋण की समतुल्य राशि के बराबर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 5 साल की अवधि के लिए (ऋण शुरू होने की तारीख से या ऋण की अवधि, जो भी पहले है) छूट।
27 मार्च 2020	• नीतिगत रिपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.4 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो असमान कॉरिडोर[2] को दर्शाता है। • सीआरआर में एक वर्ष की अवधि के लिए, जो 26 मार्च 2021 को समाप्त होगी, 100 आधार अंकों की कटौती[3] कर इसे 28 मार्च 2020 से एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। • 28 मार्च 2020 से, न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष बनाए रखने संबंधी अपेक्षा को 90 प्रतिशत से घटाकर निर्धारित सीआरआर के 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020[4] तक दिया गया। • सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को 28 मार्च 2020 से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया।
17 अप्रैल 2020	• रिवर्स रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। • नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को उनकी क्षेत्रवार ऋण जरूरतों[5] की आपूर्ति के लिए कुल ₹50,000 करोड़ की राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं।
22 मई 2020	• नीतिगत रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। • रिवर्स रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। • एक्ज़िम बैंक को ₹15,000 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी थी जो जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए है जिसे अधिकतम एक साल तक बढाया जा सकता है ताकि वे अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सकें।

[1] सूची सांकेतिक स्वरूप की हैं और ब्योरे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

[2] रिवर्स रिपो के संबंध में इस उपाय का उद्देश्य है कि इसे बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करने को लेकर अपेक्षाकृत रूप से अनाकर्षक बनाया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था के उपयोगी क्षेत्रों को उधार देने के लिए इस धन का इस्तेमाल कर सकें।

[3] सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1,37,000 करोड़ अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं के बजाय उनके घटकों की देयताओं के अनुपात में समान रूप से उपलब्ध कराई गयी।

[4] स्टाफ को लेकर सामाजिक दूरी बरतने एवं तत्पश्चात रिपोर्टिंग अपेक्षाओं संबंधी दिक्कतों के संदर्भ में बैंकों को हुई कठिनाइयों को संज्ञान में लेकर इस उपाय का ऐलान किया गया।

[5] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को प्रदत्त ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को प्रदत्त ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहारा देने के लिए एनएचबी को प्रदत्त ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
01 अगस्त 2019	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी मास्टर निदेश जारी किया गया।
13 अगस्त 2019	विशिष्ट वर्गों के अंतर्गत एनबीएफसी (एमएफआई से इतर) द्वारा 'आगे उधार देने' हेतु बैंकों द्वारा उनको प्रदान किए जाने वाले ऋण को निर्धारित सीमाओं तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की श्रेणी के अंतर्गत पात्र माना गया।
20 सितंबर 2019	निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से घरेलू एससीबी के लिए निर्यात ऋण की स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाया गया था।
07 अक्टूबर 2019	डिजिटल पेमेन्ट ईकोसिस्टम में विस्तार व प्रगाढ़ता लाने के विचार से राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर की बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को उनसे संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्रों(यूटी) में एक ऐसे जिले की पहचान करनेके लिए सूचित किया गया जिसे एक साल के अंदर 100 प्रतिशत डिजिटल किया जा सके।
05 फरवरी 2020	एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) संबंधी परिचालनगत दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किया गया।
31 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को केसीसी ऋणों में परिवर्तित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) एवं त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पकालिक फसल ऋण की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाने पर परिपत्र जारी किया गया।
04 जून 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 2018-19 और 2019-20 वर्षों के दौरान अल्पकालिक फसल ऋणों के मामले में आईएसएस और पीआरआई की अधिस्थगन अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया।
	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
28 नवंबर 2019	रिपो के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिटों को अनुमति दी गयी थी।
1 जनवरी 2020	• 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा से अधिक करेंसी डेरिवेटिव में ग्राहक संव्यवहारों को ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित करना अनिवार्य था। 6 जनवरी 2020 से करेंसी डेरिवेटिव के ग्राहकों के सभी संव्यवहारों को मुद्रा रिपॉजिटरी को सूचित करना अनिवार्य किया गया। • फिनान्शियल बेंचमार्कस् इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा नियंत्रित 6 बेंचमार्कों को 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश 2019 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
6 जनवरी 2020	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को ऑनशोर बाजार समय के बाद में ग्राहक और अंतर-बैंक संव्यवहार स्वेच्छा से करने की अनुमति दी गयी।
20 जनवरी 2020	इन्टरनेशनल फाइनान्शियल सर्विसेज सेन्टर (आईएफएससी) में विदेशी मुद्रा में निपटान के रुपया डेरिवेटिव सौदे करने की अनुमति दी गयी, इसका आरंभ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) से हुआ।
23 जनवरी 2020	• कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक (एफपीआई) के लिए अल्पकालिक निवेश मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों को अल्पकालिक निवेश सीमा से छूट दी गयी। • स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के माध्यम से एफपीआई में निवेश की उच्चतम सीमा को ₹75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹1,50,000 करोड़ किया गया है। वीआरआर योजना के अंतर्गत एफपीआई को सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए अपने निवेश को वीआरआर में अंतरित करने की अनुमति दी गयी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो केवल ऋण लिखत में निवेश करते हैं, को एफपीआई में निवेश करने की अनुमति दी गयी।
27 मार्च 2020	• भारत में एडी श्रेणी-1 बैंक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (बीयू) का संचालन करते हैं को, 1 जून 2020 से अनिवासी भारतीय व्यक्तियों को रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट की पेशकश करने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• कोविड-19 महामारी के प्रकोप की चुनौतियों के कारण गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ायी गयी।
30 मार्च 2020	भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु एक अलग मार्ग यथा, पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया।
3 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के चलते रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबार समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
7 अप्रैल 2020	अनिवासियों और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की गयी है ताकि घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच आसान हो, खुदरा ग्राहक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो और सुविज्ञ ग्राहकों के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
15 अप्रैल 2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के अंतर्गत डेट प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा की घोषणा की गयी।
18 मई 2020	• रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित किया जाना अनिवार्य था। सभी आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को 1 जून, 2020 से सभी विदेशी मुद्रा ओटीसी, ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन (दोनों अंतर-बैंक और ग्राहक लेनदेन) ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। • कोविड-19 के प्रकोप के कारण आई कठिनाइयों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा जोखिम (दिनांक 7 अप्रैल 2020) हेजिंग के निदेशों के कार्यान्वयन की तारीख स्थगित कर 1 जून 2020 से 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के चलते स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत 24 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच जिन एफपीआई को निवेश की उच्चतम सीमा दी गयी थी, प्रतिबद्ध पोर्टफोलिओ आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत निवेश के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
13 दिसंबर 2019	24x7 परिवेश में एनईएफटी के सुचारू निपटान के लिए सदस्य बैंकों को अतिरिक्त संपार्श्विक इंट्रा-डे चलनिधि सुविधा जिसे चलनिधि सहायता (एलएस) कहा जाता है प्रदान की गयी।
19 दिसंबर 2019	रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के अंतर्गत एक साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 23 दिसंबर 2019 को की गयी।
6 फरवरी 2020	• रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए गठित आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट और हितधारकों तथा आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया के आधार पर अपना चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क संशोधित किया। • रिज़र्व बैंक ने स्थायी चलनिधि की उपलब्धता के संदर्भ में बैंकों को आश्वस्त करने और मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को प्रसारित करने तथा अर्थव्यवस्था के लिए ऋण प्रवाह सुगम बनाने के उद्देश्य से दीर्घावधि के रिपो परिचालन (एलटीआरओ) की घोषणा करके अपने चलनिधि प्रबंधन उपायों को बढ़ाया। इस प्रकार का पहला एलटीआरओ 17 फरवरी 2020 को किया गया।
12 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6-महीने के अमेरिकी डॉलर बिक्री/ खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 16 मार्च 2020[6] को की गयी।

[6] कोविड-19 संक्रमण के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम पर बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे इसलिए यह घोषणा की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर से लिंक्ड फ्लोटिंग दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की। योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहली टीएलटीआरओ नीलामी 27 मार्च 2020 को की गयी।
30 मार्च 2020	कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रिपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार करने का निर्णय लिया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने की घोषणा की। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किया गया निवेश, एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि म्यूचुअल फंड के चलनिधि जरूरतों के लिए वे रिज़र्व बैंक से निधि प्राप्त करते है या अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करते है।
	विदेशी मुद्रा विभाग
30 जुलाई 2019	ईसीबी फ्रेमवर्क को और अधिक उदार बनाने की दृष्टि से भारत सरकार (जीओआई) के साथ परामर्श से रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से प्राप्त राशि के अंतिम–प्रयोग प्रतिबंधों को शिथिल किया।
16 अगस्त 2019	वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) से संबंधित संविधिक प्रावधानों / विनियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)(2)/ 2019-आरबी के द्वारा अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)/2016-आरबी के विनियमन-6 के उप-विनियमन-(3) को हटा दिया गया है।
17 अक्टूबर 2019	भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियमावली, 2019 अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने "विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखतों के भुगतान का माध्यम और रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019" जारी की, जो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश के लिए भुगतान और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से संबंधित है।
22 नवंबर 2019	• भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय रुपये के उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार के साथ परामर्श से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाते (एसएनआरआर) के दायरे को विस्तारित किया गया। • सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों के पुनर्निर्यात पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, हीरे के खनन कंपनियों द्वारा आयात की जाने वाली खेप (खेपों) के लिए क्रेता द्वारा प्रवेश बिल फाइल किया जाएगा और इन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित केंद्र (केंद्रों) में मंजूरी दी जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 दिसंबर 2019	विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए ऐयरक्राफ्ट/हेलिकॉप्टर और/अथवा इंजिन/औक्सिलरी पावर यूनिट (एपीयू), की पुनर्निर्यात हेतु रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए उन्हें निर्यात घोषणा फॉर्म (इडीएफ) प्रस्तुत करने से छूट दी गयी।
23 जनवरी 2020	मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से मौजूदा एमटीटी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी है।
17 मार्च 2020	एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान करेंसी के रूप में अनुमति दी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 में तदनुसार संशोधन किए गए।
1 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया जाए।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में विदेशी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि एडी श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में, सामान्य आयातों अर्थात स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
	विनियमन विभाग: वाणिज्यिक बैंक
5 जुलाई 2019	बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा में बैंक के निवल मांग और समय देयताओं की 1.0 प्रतिशत की वृद्धि को, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफ़सी) को वृद्धिशील बकाया ऋण की सीमा तक, चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना के प्रयोजन (1 अगस्त और 1 दिसंबर 2019 के अनुसार प्रत्येक में 0.50 प्रतिशत) से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों के रूप में माने जाने की अनुमति दी गयी, जो उनके बही-खाते में 5 जुलाई 2019 को एनबीएफ़सी/ एचएफ़सी को बकाया ऋण की राशि के अतिरिक्त है।
2 अगस्त 2019	• बैंकों को यह अनुदेश दिया गया कि, व्यवसाय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, चाहे वह सह-उधारकर्ता(ओं) सहित हो या नहीं, द्वारा लिए गए किसी भी अस्थायी दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाएं। • सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे उन्हें अन्य निदेशकों के लिए लागू पात्रता अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके।
7 अगस्त 2019	7 अगस्त 2019 से बैंक दर को 35 आधार अंकों से घटाकर 6.00 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया। तदनुसार, आरक्षित अपेक्षाओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, उसे कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर से अतिरिक्त 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (8.65 प्रतिशत) या बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (10.65 प्रतिशत) संशोधित किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अगस्त 2019	भारत सरकार ने दिनांक 28 मई 2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में संशोधन अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप, मास्टर निदेश में यह संशोधन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति जेल में बंदी है, तब जेल के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया जाएगा और उक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा और जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी पते के सबूत का प्रमाणपत्र, के वार्षिक प्रस्तुतीकरण पर खाता चालू रहना जारी रहेगा।
13 अगस्त 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क' का अंतिम रूप फिनटेक संस्थाओं, बैंकों, बहुपक्षीय एजेंसियों, उद्योग एसोसिएशन, भुगतान एग्रीगेटर, ऑडिट और विधिक फर्मों, सरकारी विभागों और व्यक्तियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों से फ्रेमवर्क के विभिन्न पहलुओं पर अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है।
16 अगस्त 2019	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 में दो परिवर्तन लाए गए (i) बैंक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक शाखा का चयन करे जहां वे योजना के अंतर्गत जमाएं स्वीकार कर सकते हैं तथा (ii) सभी प्राधिकृत बैंक अपनी शाखाओं, वेबसाइट और अन्य माध्यमों द्वारा योजना का पर्याप्त प्रचार करेंगे।
4 सितंबर 2019	सीमांत लागत धन-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित आंतरिक अध्ययन समूह (आईएसजी) की सिफारिशों के आधार पर बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि सभी नए अस्थायी दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटोमोबाईल, आदि) तथा 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए अस्थायी दर ऋण, रिज़र्व बैंक की नीति रिपो दर, फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार 3/6-माही (तिमाही) ट्रेजरी बिल का प्रतिफल, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।
12 सितंबर 2019	• व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता ऋण, लेकिन क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर, के लिए जोखिम भार कम करते हुए 100 प्रतिशत किया गया है। पूर्व में उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को शामिल करते हुए लेकिन शैक्षिक ऋणों को छोड़कर, प्रतिपक्षकार की बाहरी रेटिंग के अनुसार आवश्यक पाए जाने पर, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्चतर जोखिम भार लगता रहा है। • किसी एकल एनबीएफ़सी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) के प्रति बैंक के एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत सामान्य एकल प्रतिपक्ष सीमा के साथ एकल एनबीएफसी एक्सपोजर सीमा को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके सामंजस्य स्थापित किया गया। मुख्य रूप से सोने के बदले में ऋण देने वाली एनबीएफसी को बैंक वित्त पर पहले निर्धारित सीमाएं लागू रहना जारी रहेगा।
4 अक्टूबर 2019	बैंक दर को संशोधित कर 5.65 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया गया है।
14 अक्टूबर 2019	बैंकों को कुछ रक्षोपायों के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) को ऋण देने की अनुमति दी गयी है, जिसमें आईएनवीआईटी के प्रति एक्सपोज़र पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, आईएनवीआईटी स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन, आईएनवीआईटी और अंतर्निहित एसपीवी का समग्र लीवरेज बैंकों की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार अनुमति प्राप्त लीवरेज के भीतर होना, अंतर्निहित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी और उन्हीं आईएनवीआईटी को ऋण देना, जिनके अंतर्निहित विशेष प्रयोजन माध्यम, 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रहे हैं आदि शामिल है।
1 नवंबर 2019	आरआरबी को निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन टीअर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) जारी करने की अनुमति दी गयी है।
4 नवंबर 2019	• खुदरा भुगतान विषय के रूप में विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत पहला कॉहोर्ट शुरू किया गया और आवेदन जमा करने के लिए व्यवस्था की घोषणा की गयी । अन्य के साथ-साथ फीचर फोन आधारित भुगतान सेवाएं, ऑफ़लाइन भुगतान समाधान और संपर्क रहित भुगतान सहित मोबाइल भुगतान जैसे नवीन उत्पादों / अन्य सेवाओं को आरएस के अंतर्गत शामिल किए जाने पर विचार किया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण का कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर संशोधित अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जिसकी प्रमुख विशेषताएं, शेयर-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) को एनपीए / प्रावधानीकरण में परिवर्तनशील भुगतान के लिए वैरिएबल पे और मालस आदि है।। संशोधित दिशानिर्देश वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के दिशानिर्देशों के साथ पारिश्रमिक के तौर-तरीकों पर बेहतर तालमेल के लिए जारी किए गए थे । इसे 01 अप्रैल 2020 के बाद से शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए लागू किया गया था।
18 नवंबर 2019	बैंकों को सूचित किया गया है कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसमापन के लिए आवेदन पर, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2019 को परिसमापन का आदेश पारित किया है और परिसमापक नियुक्त किया गया।
28 नवंबर 2019	"विजया बैंक" और "देना बैंक" को 01अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन पर उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है।
5 दिसंबर 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक ने "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी/ निवल मालियत के रूप में ₹ 200 करोड़ की आवश्यकता, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) जो लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में स्वेच्छा से परिवर्तन के इच्छुक है, के लिए निवल मालियत की प्रारंभिक आवश्यकता ₹ 100 करोड़ और एसएफबी को परिचालन शुरू होने पर तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाना आदि है।
23 दिसंबर 2019	आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) को फेमा 1999 के प्रावधानों के अधीन अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए चालू खाता (एस्क्रो खातों सहित) खोलने की अनुमति दी गयी हैं और वे अब बैंकेतर संस्थाओं से एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेशी मुद्रा मीयादी जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा बिना किसी समय प्रतिबंध के समय से पहले मीयादी जमा लौटा भी सकते हैं।
9 जनवरी 2020	भारत सरकार ने 19 अगस्त 2019 और 13 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम में संशोधन को अधिसूचित किया है जिसके अनुसार अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश अद्यतन किए गए है। ग्राहक पहचान, ग्राहक को सम्मिलित करने (ऑनबोर्डिंग) के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) शुरू की गयी।
21 जनवरी 2020	आईएफ़एससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) को आईएफ़एससी में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध, रुपया एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में भाग लेने की अनुमति दी गयी है।
6 फरवरी 2020	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को *आधार* पे– भीम (बीएचआईएम) ऐप और बिक्रि केंद्र (पीओएस) टर्मिनल का प्रयोग करते हुए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है।
7 फरवरी 2020	वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र में परियोजना ऋणों को आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना एक अतिरिक्त वर्ष तक (अर्थात, मूल डीसीसीओ में कुल 2 साल का विस्तार) वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) में संशोधन के माध्यम से, पुनर्गठन करने की अनुमति दी गयी, जैसा कि गैर- आधारभूत फ्रेमवर्क क्षेत्रों के परियोजनाओं के मामले में है। आस्ति वर्गीकरण लाभ कुछ शर्तों के अधीन होगा
11 फरवरी 2020	1 जनवरी 2020 को डिफ़ॉल्ट लेकिन 'मानक' रहे एमएसएमई ऋणों को आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना, कुछ शर्तों के अधीन एक बार पुनर्रचना की अनुमति दी गयी थी, जैसे बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता के लिए, गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोज़र, 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं है और उधारकर्ता का खाता 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार चूक में है लेकिन 'मानक आस्ति' है, और पुनर्रचना के कार्यान्वित होने की तिथि तक उसे 'मानक आस्ति' के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है। उधारकर्ता संस्था जीएसटी पंजीकृत होना अनिवार्य है। तथापि यह शर्त जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 फरवरी 2020	मौद्रिक नीति प्रसारण को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एससीबी द्वारा मध्यम उद्यमों के लिए दिए जाने वाले सभी नए अस्थायी दर ऋणों का मूल्य निर्धारण भी 1 अप्रैल 2020 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाए और तदनुसार, बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
17 मार्च 2020	• भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों के लिए युक्तिसंगत मास्टर सूची (एचएमएल) के अंतर्गत किफायती आवास को शामिल करने के फलस्वरूप, किफायती आवास को ऋण देने की परिभाषा एचएमएल में दी गयी परिभाषा के साथ फिर से मिलायी गयी थी। तदनुसार, दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने के उद्देश्य से और एचएमएल की किफायती आवास परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर व्यक्तियों को आवास इकाइयों को प्राप्त करने के लिए संशोधित परिभाषा में आवास ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पात्र है (समय-समय पर अद्यतन)। • बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) को, जो ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए कम से 2 प्रतिशत लाभ से सृजित हुआ हो, को निरंतर आधार पर कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा के बिना टिअर II पूंजी के रूप में गिना जाए।
23 मार्च 2020	बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि जोखिम को क्रेडिट जोखिम शमन (सीआरएम) प्रदाता से मूल प्रतिपक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही प्रतिपक्ष भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, यदि उस बैंक द्वारा एक्सपोजर/जोखिम भार के स्थानांतरण जैसे सीआरएम लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार एक्सपोजर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति में स्थानांतरित होने पर, 150 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भार होगा। गैर-केंद्रीय रूप से मंजूरी दिए गए डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की तारीख भी एक वर्ष के लिए 01 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी गयी।
27 मार्च 2020	• पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत, बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। • नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित कर 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। • कोविड-19 महामारी से निर्मित व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त राहतों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण से छूट शामिल है। • तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 75 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत संशोधित किया गया। रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें भी जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 8.40 प्रतिशत से 7,65 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 10.40 प्रतिशत से 9.65 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
28 मार्च 2020	निजी क्षेत्र के एसएफबी के लिए मांग पर लाइसेंस पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया ताकि मौजूदा सभी एसएफबी को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के लिए मानदंडों के अनुपालन किए जाने के अधीन बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करना तथा जोखिम साझा न करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को शुरू करने, जिसके लिए अपनी निधि प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है, के लिए लघु वित्त बैंक के कारोबार शुरू होने के तीन साल बाद से रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने से छूट दी गयी। प्रवर्तक और चुकता इक्विटी पूंजी पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
30 मार्च 2020	भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2020 को घोषित कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन की योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ आंध्रा बैंक/ कॉर्पोरेशन बैंक/ सिंडिकेट बैंक/ इलाहाबाद बैंक (अंतरक बैंक) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाया जाएगा क्योंकि उनका 1 अप्रैल 2020 से बैंकिंग कारोबार करना समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप, उनकी सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से अपने-अपने अंतरिती बैंक (पंजाब नेशनल बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ केनरा बैंक/ इंडियन बैंक) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी और जमाकर्ताओं सहित उनके ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से संबंधित हस्तांतरित बैंकों के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
31 मार्च 2020	• निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति के संबंध में कुछ अनुदेशों की समीक्षा के आधार पर उम्मीदवार से प्राप्त की जाने वाली घोषणा और वचन पत्र तथा 'फॉर्म ए' (अपनी नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए बैंक द्वारा आवेदन) के साथ-साथ 'फॉर्म बी' (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन) के नमूने को संशोधित किया गया था। दो अन्य बदलाव भी शुरू किए गए थे, जैसे पद की अवधि समाप्त होने से पहले एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के लिए बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को कम से कम छह महीने (चार महीने की तुलना में) पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता के क्रम में कम से कम दो नामों (वर्तमान में तीन की तुलना में) पैनल वाले प्रस्ताव को वर्तमान पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कम से कम चार महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए । • वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे शाखाओं के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क विकसित करके अखिल भारतीय आधार पर इन सेवाओं को शुरू करें जहां ये सेवाएं अनिवार्य रूप से दी जाएंगी और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दी जाएंगी। यह सेवाएं देनेवाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से दर्शाई/ अद्यतन की जानी चाहिए, इस संबंध में प्रभारों की सूचना भी सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा बैंकों को अपने जन जागरुकता अभियानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समुचित प्रचार करना चाहिए। इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे और बैंकों को सूचित किया गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
1 अप्रैल 2020	• प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ शुरू किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष या उससे पहले सक्रिय नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक हो। • केवाईसी पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में संशोधन किया गया तथा इसे 31 मार्च 2020 की गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) में संशोधन के अनुरूप किया गया। संशोधन, ग्राहक के लिए खोले गए छोटे खातों से संबंधित है, जो बैंकों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, जिसके लिए पीएमएल नियमों में सीमा और शर्तें दी गयी हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) राशियों को अंतरित करने और केवाईसी अपेक्षाओं के कारण लाभार्थियों को उनकी जरूरतों के लिए राशि आहरित करने में कोई भी कठिनाई न हो।
17 अप्रैल 2020	• यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन का एनपीए मानदंड मानक अधिस्थगन अवधि में शामिल नहीं है, अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण नहीं होगा। इसी के साथ बैंकों को पर्याप्त बफर बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखने के उद्देश्य से दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 तक उन्हें दो तिमाहियों में स्टैंडस्टिल स्प्रेड के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज की प्रावधान अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में एससीबी को चूक उधारकर्ता के बड़े खातों के मामले में यदि समाधान योजना 210 दिनों के भीतर लागू नहीं की गयी है तो ऐसे चूक की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों का निर्धारण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संकल्प योजना की अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जाए। • अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि अगले अनुदेश तक एससीबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। • व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुन: स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।
20 अप्रैल 2020	वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सिफारिशों के प्रावधानों को रिज़र्व बैंक के अनुदेशों को अनुरूप करने के लिए धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा आंतरिक जोखिम आकलन के संबंध में केवाईसी पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया[1]। आरई द्वारा किया गया आंतरिक जोखिम आकलन उनके आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुरूप होना चाहिए। आरई को पहचाने गए जोखिम शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करना होगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और पद्धति होनी चाहिए। मूल्यांकन का समुचित दस्तावेजीकरण करना चाहिए और परिणाम की सूचना बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को देनी चाहिए।
23 अप्रैल 2020	बैंकों को, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ओवरड्राफ्ट खाते,जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण स्वरूप के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों केवल घरेलू ऑनलाइन/गैर-नकद लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गयी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों, सुरक्षा पहलु, आदि इन कार्डों पर लागू होंगे।
29 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।
13 मई 2020	भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को और एक वर्ष के लिए अर्थात 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विस्तार हेतु अपना अनुमोदन दिया है और इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालन अनुदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
22 मई 2020	22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
23 मई 2020	• बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। • मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। • अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे। • निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।
21 जून 2020	जैसा कि एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं, उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करने की अनुमति दी गयी।
विनियमन विभाग: सहकारी बैंक	
30 अगस्त 2019	दि मेघालय को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
29 नवंबर 2019	केरल राज्य में 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय किया गया।
19 दिसंबर 2019	सुपौल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सुपौल बिहार को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया।
27 दिसंबर 2019	केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े ऋणों से संबंधित वृहत एक्सपोजर के संबंध में रिपोर्टिंग करने पर शहरी सहकारी बैंको को दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 दिसंबर 2019	शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रबंधन मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
6 जनवरी 2020	• शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। • शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को एसएफबी लाइसेंस प्रदान करने के लिए 'सैद्धांतिक 'रूप से मंजूरी दी गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 मार्च 2020	एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण एक्सपोजर और बड़े एक्सपोजर की सीमाएं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन पर शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए।
20 अप्रैल 2020	सर्व समावेशी निर्देश के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के अंतर बैंक एक्सपोजर के लिए प्रावधान पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 अप्रैल 2020	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान पर दिशानिर्देश।
8 जून 2020	रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों तथा नाबार्ड द्वारा लगायी गयी अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, को पूरा करने के अधीन, पंजाब सरकार को राज्य के डीसीसीबी का पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया।
	विनियमन विभाग: एनबीएफसी
2 अगस्त 2019	एनबीएफसी को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, सह-उधारकर्ता(ओं) के साथ या बिना, व्यापार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंधित शुल्क/पूर्व भुगतान दंड नहीं लेने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया था।
4 नवंबर 2019	एनबीएफसी और मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए संशोधित चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क जारी किया गया था।
8 नवंबर 2019	• रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए) पारिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश (आरईबीआईटी द्वारा तैयार) निर्धारित किए गए हैं। • एनबीएफसी-एमएफआई की अर्हक आस्तियों के लिए घरेलू आय सीमा और ऋण सीमा में वृद्धि की गयी।
11 नवंबर 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III बी (धारा 45-आईए को छोड़कर) के प्रावधानों के अंतर्गत आवास वित्त संस्थाओं को दी गयी छूट वापस ली गयी।
6 दिसंबर 2019	आस्ति पुनर्निर्माण कपनियों (एआरसी) को सूचित किया गया कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण उनके उधारदाताओं, प्रायोजकों या समूह संस्थाओं द्वारा नीलामियों के माध्यम से किया जाना चाहिए जो पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के की गयी हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया गया हो।
23 दिसंबर 2019	सभी उधारकर्ताओं के लिए किसी भी समय ऋणदाता का कुल एक्सपोजर, सभी पीअर 2 पीअर (पी2पी) प्लेटफॉर्म पर ₹50,00,000 तक बढ़ा दिया गया।
31 दिसंबर 2019	5 साल से अधिक की मूल परिपक्वता वाले ऋण से संबंधित प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, अर्थात् 30 जून, 2020 तक।
21 जनवरी 2020	एनबीएफ़सी को अपनी विभिन्न शाखाओं से स्वर्ण आभूषणों को जिला स्तर पर एकट्ठा करके संबन्धित जिले के किसी स्थान पर नीलामी के लिए अनुमति दी गयी है बशर्ते पहली नीलामी असफल रही हो।
13 मार्च 2020	इंड एएस लागू करने वाली एनबीएफ़सी और एआरसी के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण विषयों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को यथारूप से एनबीएफसी पर भी लागू किया गया।
19 मई 2020	केवाईसी पर मास्टर निदेश 2016 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू किए गए।
17 जून 2020	एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों की समीक्षा करने वाला एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 जून 2020	सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) को सूचित किया गया है कि, अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वयं या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देते समय अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए।
	पर्यवेक्षण विभाग
18 सितंबर 2019	वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों में, की गयी समीक्षा के आधार पर, संशोधन किया गया।
31 दिसंबर 2019	• क्रमिक दृष्टिकोण के आधार पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। • पर्यवेक्षी संस्थाओं के साथ संविदागत करार के माध्यम से थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के लिए मूलभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण अनिवार्य किए गए।
16 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को उनके परिचालनगत तथा कारोबारी निरंतरता संबंधी योजनाओं के एक भाग के रूप में किए जाने वाले उपायों की निदर्शी सूची के संबंध में सूचित किया गया।
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
22 अक्टूबर 2019	आंतरिक लोकपाल योजना को विस्तारित कर 31मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ से अधिक बकाया प्रीपेड़ भुगतान लिखतों (पीपीआई) वाले गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
3 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्षों और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड -19 से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
7 नवंबर 2019	राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना' को संशोधित किया गया ताकि विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेजों को उनके स्टॉक ब्रोकर्स/ अन्य रिटेल प्रतिभागियों के बोलियों को संकलित करने के लिए समूहक/ समन्वयक (अनुसूचित बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के अतिरिक्त) के रूप में कार्य करने तथा एसडीएल की प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के अंतर्गत एकल समेकित बोली प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
6 फरवरी 2020	यह निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएल) में ग्राहक के ब्यौरे शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूति रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा। यह अपेक्षा कि गयी है कि इससे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के अर्थोपाय अग्रीमों (डबल्यूएमए) की सीमाओं को 31 मार्च 2020 को विद्यमान सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ाया गया ताकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए राजकोषीय दबाव से उभर सकें। संशोधित सीमाएं 01 अप्रैल 2020 से लागू हुई और 30 सितंबर 2020 तक वैध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों के अंतरों से निपटने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 'राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट (ओडी) योजना' की समीक्षा की गयी और कोई राज्य/ यूटी निरंतर रूप से ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता है उस संख्या को 14 कार्य दिनों से बढ़ाकर 21 कार्य दिन कर दिया गया। इसके अलावा तिमाही में कोई राज्य/ यूटी, ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता उस संख्या को 36 कार्य दिनों से बढ़ाकर 50 कार्य दिन कर दिया गया।
13 अप्रैल 2020	भारत सरकार की सॉव्रेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर सभी वर्तमान परिचालनगत अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से एसजीबी योजना की पद्धति संबंधी समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 अप्रैल 2020	कोविड-19 की रोकथाम एवं शमन के प्रयास करने में राज्य सरकारों को अधिक सुविधा प्रदान करने तथा वे अपने बाजार उधारों की योजना बना सकें इस दृष्टि से राज्यों की डबल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 को विद्यमान स्तर के अतिरिक्त 60 प्रतिशत से बढ़ाया गया। वर्धित सीमा 30 सितंबर 2020 तक वैध होगी।
20 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निर्मित परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के डबल्यूएमए की सीमा में वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए ₹ 1,20,000 करोड़ से ₹ 2,00,000 करोड़ संशोधन किया जाए।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण राज्य सरकार की आय पर पड़े हुए दबाव के परिप्रेक्ष्य में ' समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ़) के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना' की समीक्षा कि गयी और यह सुनिश्चित करते हुए कि निधि में पर्याप्त राशि शेष रहती है, सीएसएफ़ से आहरण करने संबंधी नियमों को शिथिल किया गया।
26 जून 2020	एक नई बचत बॉन्ड योजना- अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (कर योग्य) की घोषणा की गयी। यह योजना 1 जुलाई 2020 से अभिदान के लिए खुली होगी।
	मुद्रा प्रबंधन विभाग
1 जनवरी 2020	दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में सहायता देने के लिए "मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि)" नामक एक नए मोबाइल एप्लिकेशन का आरंभ किया गया।
	भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
14 अगस्त 2019	यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे तकनीकी कारणों, जिनके लिए बैंक/ सेवा प्रदाता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अवैध पीन/ सत्यापन आदि से असफल लेनदेन ग्राहक को उपलब्ध निशुल्क लेनदेन का हिस्सा नहीं होंगे। गैर-नकद आहरण 'ऑन-अस' लेनदेन भी किसी एटीएम पर अनुमत निशुल्क लेनदेन का हिस्सा नहीं होंगे।
21 अगस्त 2019	• आरटीजीएस की उपलब्धता के समय को बढ़ा दिया गया और उसका परिचालन पूर्वाह्न 8.00 बजे के बजाय 7:00 बजे से आरंभ किया गया। • पहले लेनदेन सहित ई-मैनडेट पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) के साथ आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए कार्ड पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गयी।
30 अगस्त 2019	न्यूनतम विवरण वाली पूर्वदत्त भुगतान लिखत को केवाईसी अनुपालन वाली पीपीआई में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया।
16 सितंबर 2019	भारत बिल भुगतान प्रणाली के दायरे और इसकी व्याप्ति का विस्तार किया गया ताकि सभी श्रेणियों के बिलर्स जिनके बिल बार-बार आते हैं (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सके।
20 सितंबर 2019	टर्न अराउंड टाईम के लिए फ्रेमवर्क तथा प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए असफल लेनदेन के ग्राहक क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया।
15 अक्टूबर 2019	भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस); और वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालकों के लिए मांग पर प्राधिकरण की अनुमति दी गयी।
6 दिसंबर 2019	सभी सदस्य बैंकों को एनईएफटी की 24x7 उपलब्ध प्रणाली की पद्धति तथा समय-सीमा सूचित की गयी।
16 दिसंबर 2019	सदस्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों द्वारा एनईएफ़टी के माध्यम से किए गए ऑनलाइन लेनदेन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लें।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 दिसंबर 2019	एक नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड पीपीआई का आरंभ किया गया, जिसे केवल बैंक खाते से लोड किया जा सकता है और किसी एक माह के दौरान लोड की जाने वाली कुल राशि को ₹10,000 तक प्रतिबंधित किया गया है। इस पीपीआई का उपयोग भी वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद तक प्रतिबंधित है।
30 दिसंबर 2019	नैशनल इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली (एनईटीसी) के अंतर्गत सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों तथा लिखतों को अब से फास्टैग्स के साथ जोड़ने की अनुमति होगी।
10 जनवरी 2020	• पहले लेनदेन सहित ई- मैनडेट पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए यूनिक पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गयी। • क्रॉस – बार्डर लेनदेन के लिए मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किया जा सके इसलिए मास्टर परिपत्र में संशोधन किए गए। • प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाने के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया।
15 जनवरी 2020	उपयोगकर्ता सुविधा को सुधारने तथा कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 जनवरी 2020	बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनल पर नकद आहरण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गयी।
16 मार्च 2020	आम जनता को सामाजिक संपर्क से बचकर और अपने घर पर रहते हुए भुगतान करने के लिए जिन भुगतान प्रणालियों को उपयोग में लाया जा सकता है उनकी चौबीसों घंटों की उपलब्धता के बारे में प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया।
17 मार्च 2020	भुगतान समूहकों तथा पेमेंट गटेवे के विनियमन, प्राधिकरण, पूंजीगत अपेक्षाएं, अभिशासन, मर्चंट ऑन-बोर्डिंग, निपटान तथा एस्क्रो खाता प्रबंधन, विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क आदि पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मार्च 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार किया गया।
4 जून 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्रदान की गयी समय-सीमा में और विस्तार प्रदान करने से संबंधित परिपत्र जारी किया गया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों तथा प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतानों के संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के संबंध में शिक्षण देने के लिए लक्षित बहु-भाषीय अभियान चलाएं।